न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **44 / 2019** दायर दिनाँक **28.01.2019**

वादी		प्रतिवादी
1. हरि राम भाकर डालूराम भाकर जाति जाट निवासी सिंगरावट खुर्द तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा—88, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री तेजपाल राठी अधिवक्ता, वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **22.02.2019**

वाद के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी का खातेदारी सुदा कब्जाकाश्त सुदा खेत मौजा सिंगरावट खुर्द पटवार हल्का खरेश में खसरा सं0 126 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा सं0 127 रकबा 10.9700 हैक्टेयर, खसरा सं0 148 रकबा 2.3600 हैक्टेयर व खसरा सं0 155 रकबा 1.3600 हैक्टेयर कुल रकबा 14.7700 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसमें वादी का नाम हरिराम खोले चेलाराम पुत्र फुला कौम जाट दर्ज है। उक्त खसरान में वादी कब्जा काश्त दर्ज सुदा है। वादी के प्राकृतिक पिता का नाम डालूराम भाकर है। वादी को बचपन में ही चेलाराम व चेलाराम की पत्नी फुला देवी ने गोद ले लिया और उसका अपने पुत्र के समान लालन पालन, भरण पोषण किया तथा वादी ने भी चेलाराम व फुला देवी को अपने माता पिता के रूप में मानते हुए उनकी सेवा चाकरी की। वादी युवा अवस्था में फौज में नोकरी लग गया। जिसमें वादी की पढाई, शेक्षणिक दस्तावेजों में वादी के पिता के नाम में वादी के प्राकृतिक पिता डालूराम भाकर का नाम चला आ रहा होने से वादी की फौज में नौकरी के वक्त भी वादी के प्राकृतिक पिता डालूराम भाकर का नाम दर्ज करते हुए ही नौकरी लग गयी और उसी अनुसार निरन्तर वादी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

के समस्त दस्तावेजों में पिता के नाम के स्थान पर वादी के प्राकृतिक पिता डालूराम भाकर का नाम दर्ज होकर चला आ रहा है। लेकिन वादी चेलाराम, फुला देवी के गोद चला गया जिससे वादी की चेलाराम की सम्पति, खेत खसरा नम्बर 126, 127, 148, 155 कुल रकबा 14.7700 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी में चेलाराम व फुला के फौत होने पर उनकी फौतगी नामान्तरण में वादी गोद पुत्र होने से हरिराम खोले चेलाराम पुत्र फुला नाम दर्ज हो गया जबकि वादी हरिराम भाकर पुत्र डालूराम भाकर व हरिराम खोले चेलाराम पुत्र फुला एक ही व्यक्ति व वादी ही है। इनके अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए उक्त खतौनी में खातेदारी वादी के दस्तावेजी रिकार्ड के अनुसार वादी का एक ही नाम रिकार्ड में दर्ज करवाना व दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया। इसलिए उक्त खसरान में वादी की खातेदारी घोषित करते हुए रिकार्ड दुरूस्त कराया जाना लाजमी होने से वादी को उक्त वाद पत्र लाना आवश्यक हुआ है।

वादी के दस्तावेजात राशन कार्ड, मतदाता फोटो परिचय पत्र, सीमा सुरक्षा बल के पेंशनर पहचाल पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक खाता डायरी माध्यमिक परीक्षा अंक तालिका, शेक्षणिक प्रमाा पत्र आदि में वादी का नाम हरि राम भाकर पुत्र डालूराम भाकर दर्ज है।

प्रार्थना वादी है कि वाके सरहद सिंगरावट खुर्द के खसरा सं0 126, 127, 148 व 155 कुल रकबा 14.7700 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम हरिराम खोले चेलाराम पुत्र फुला के स्थान पर वादी के अन्य दस्तावेजों में दर्ज नाम अनुसार हरि राम भाकर पुत्र डालूराम भाकर नाम की खातेदारी घोषित कर राजस्व रेकर्ड रिकार्ड दुरूस्त कर उसी अनुरूप रेकर्ड में अमल दरामद की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 01 ने जवाब पेश किया। तहसीलदार डीडवाना के जवाब अनुसार वादी के अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम हरि राम भाकर पुत्र डालुराम भाकर दर्ज है।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद, संख्या 44/2019
दायर दिनाँक 28.01.2019, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
हरि राम भाकर बनाम तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद मौजा सिंगरावट खुर्द पटवार हल्का खरेश में खसरा सं0 126 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा सं0 127 रकबा 10.9700 हैक्टेयर, खसरा सं0 148 रकबा 2.3600 हैक्टेयर व खसरा सं0 155 रकबा 1.3600 हैक्टेयर कुल रकबा 14.7700 हैक्टेयर वादी का नाम हरिराम खोले चेलाराम पुत्र फुला के स्थान पर वादी का नाम हरि राम भाकर पुत्र डालूराम भाकर दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **22.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner